प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रकरण संख्या - 05/2022 आर.टी.आई. दायर दिनांक - 27.09.2022

अपीलार्थीः श्री विनोद गहलोत पिता श्री देवकृष्ण टेलर, 78, गणेशघाटी, उदयपुर-313001

बनाम

प्रत्यर्थीः लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रथम अपील अन्तर्गत राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

-: निर्णय :-

निर्णय दिनांक 19/10/22

श्री विनोद गहलोत, उदयपुर ने सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्रथम अपील दिनांक 23.09.2022 (जरिये आरटीआई पोर्टल) कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर प्रेषित की। अपीलार्थी अनुसार लोक सूचना अधिकारी, अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा उपलब्ध सूचना/जवाब से असंतुष्ट होने से तथा तथा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की पालना नही किये जाने से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।

कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के पत्र कमांक 3538 दिनांक 27.09.2022 से श्री विनोद गहलोत द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील की प्रति लोक सूचना अधिकारी को भिजवाते हुए अपील पर बिन्दुवार उत्तर चाहा गया तथा उसकी प्रति अपीलार्थी को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने हेतु लिखा गया। इस पत्र की प्रति अपीलार्थी को भेज सूचित किया गया कि यदि अपील के जवाब पर कोई पक्ष/प्रति-उत्तर निम्नहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करना चाहे अथवा व्यक्तिगत सुनवाई चाहते है तो उपस्थित हो सकते है।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर ने अपील का जबाव दिनांक 07.10.2022 को प्रस्तुत किया, जिसमें अंकित किया कि-

"अपीलार्थी द्वारा इस कार्यालय में सूचना का अधिनियम-2005 के तहत ऑनलाईन आवेदन दिनांक 22.07.2022 को प्रेषित कर 08 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई। उक्त आवेदन पर अपीलार्थी को वांछित देय सूचना पत्रांक एफ.17/14( )/आर.टी.आई./2022/3106 दिनांक 25.08.2022 से ससमय उपलब्ध कराई गई। ***अपीलार्थी के प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी, द्वारा अधिनियम की धारा-7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के अनुरोध पर विनिश्चय करने में सफल रहे है।***

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

उक्त सूचना से असतुंष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा श्रीमान समक्ष अपील प्रस्तुत की गई और उक्त सभी बिन्दुओं पर उज्र प्रस्तुत किया, जिस पर वांछित टिप्पणी निम्नानुसार प्रस्तुत है-

1. अपीलार्थी द्वारा आवेदन के **बिन्दु संख्या-1 से 7** में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 17.02.2020 को श्रीमती अर्चना रांका, सुरेन्द्रसिंह रावत के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट एवं उसके संबंध में की गई कार्यवाहियों से संबंधित सूचना चाही गई। जिसके संबंध में कारणों सहित सूचना देय नहीं होने के कारण अपीलार्थी को ससमय सूचित कर दिया गया। परन्तु अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के आवेदन में अंकित कथनों से परे जाकर अपील में अभिवचन प्रस्तुत किये जो अपील की कार्यवाही में सुनने योग्य नहीं है। उल्लिखित है कि वांछित सूचना किसी लोक कियाकलाप या हित से संबंध नहीं होकर व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण है। भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/02/2013-आई.आर.(पाट) दिनांक 14.08.2013 अनुसार व्यक्तिगत सूचना के विषय में सर्वोच्य न्यायालय द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है कि *The performance of an employee/Officer in an organization is primirly a matter between the employee and the employer and normally those aspects are governed by the service rules which all under the expression 'personal information' the disclosure of which has no relationship to any activity or public interest. On the other hand, the disclosure of which could cause unwarranted invasion of the privacy of that individual.* यहा लोक सूचना अधिकारी का यह समाधान हो गया था कि वांछित सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में नहीं है और सूचना गोपनीय है। जिससे सूचना का अधिनियम के तहत वांछित सूचना देय नहीं होने से अपीलार्थी को ससमय सूचित कर दिया गया था। **इसके अतिरिक्त साथ ही अधिनियम की धारा-8 के उपबंधों अनुसार भी वांछित सूचना देने की बाध्यता नहीं है।**

विशेष कथनः-

सूचना की परिभाषा अपने दायरे में क्यों वाले प्रश्नों के उत्तर शामिल नहीं कर सकती है, ऐसे प्रश्न किसी मामलें विशेष के औचित्य के बारे में पुछनें जैसा ही होगा। लोक सूचना अधिकारी से कोई नागरिक सूचना मांग सकता है किन्तु इस बात का कारण सूचित किये जाने की अपेक्षा नहीं कर सकता कि किसी निश्चित कार्य का क्या औचित्य था या वह क्यों किया गया या क्यों नहीं किया गया, औचित्य पर निर्णय, फैसला सुनाने वाले प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाला विषय है और इसे यथोचित रुप से सूचना के रुप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। यहा लोक सूचना अधिकारी का यह समाधान हो गया था कि वांछित सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में नहीं है और सूचना गोपनीय है। जिससे सूचना का अधिनियम के तहत वांछित सूचना देय नहीं होने से अपीलार्थी को ससमय सूचित कर दिया गया था।

साथ ही प्रावधानों के अन्तर्गत मात्र ऐसी सूचना की इस अधिनियम के अन्तर्गत आपूर्ति की जा सकती है जो पहले से विद्यमान हो और लोक प्राधिकरण द्वारा धारित की गई हो अथवा नियंत्रणाधीन धारित हो। राज्य लोक सूचना अधिकारी से सूचना का सृजन करने, अथवा सूचना का व्याख्या करने, अथवा आवेदकों द्वारा उठाई गई समस्याओं को हल करने, अथवा काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर दिये जाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

<u>उल्लिखित है कि अपीलार्थी स्वयं एक राजकीय कर्मचारी होकर वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर में स्टेनों के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, जो अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर के पद पर रहे, के संबंध में अशोभनीय एवं अनुचित शब्दों का</u>

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

उपयोग किया गया है, जो आचरण नियमों के विपरित होकर अपीलार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी के प्रकरण में अधोहस्ताक्षरकर्ता, लोक सूचना अधिकारी, द्वारा अधिनियम की धारा-7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के अनुरोध पर विनिश्चय करने में सफल रहे है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के आलोक में अपील अपीलार्थी खारिज फरमाये जाने का श्रम करावें।'

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा उक्त प्रथम अपील का उत्तर अपीलार्थी को भी भिजवाया गया हैं। इस कार्यालय के पत्रांक 3650 दिनांक 10.10.2022 से भी अपीलार्थी को अपना पक्ष/प्रति उत्तर प्रस्तुत करने एवं व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। उक्त पत्र दिनांक 10.10.2022 अपीलार्थी को जरिये आरटीआई पोर्टल, प्रस्तुत ईमेल एवं रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया। साथ ही अपना प्रत्युत्तर जरिये ईमेल से भी प्रेषित करने हेतु लिखा गया।

लोक सूचना अधिकारी/अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर के प्रत्युतर पर अपीलार्थी द्वारा अपनी लिखित प्रतिक्रिया दिनांक 16.10.2022 को जरिये ईमेल प्रेषित की।

अपील पर लोक सूचना अधिकारी के जवाब, लिखित प्रतिक्रिया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन एवं मनन किया।

विधिक स्थिति यह है कि सूचना की परिभाषा अपने दायरे में क्यों वाले प्रश्नों के उत्तर शामिल नहीं कर सकती है, ऐसे प्रश्न किसी मामलें विशेष के औचित्य के बारे में पुछनें जैसा ही होगा। लोक सूचना अधिकारी से कोई नागरिक सूचना मांग सकता है किन्तु इस बात का कारण सूचित किये जाने की अपेक्षा नहीं कर सकता कि किसी निश्चित कार्य का क्या औचित्य था या वह क्यों किया गया या क्यों नहीं किया गया, औचित्य पर निर्णय, फैसला सुनाने वाले प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाला विषय है और इसे यथोचित रूप से सूचना के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। **हम लोक सूचना अधिकारी के जबाव से संतुष्ठ है कि वांछित सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में नहीं है। जिससे सूचना का अधिनियम के तहत अपीलार्थी के आवेदन में वर्णित कई बिन्दुओं की वांछित सूचना देय नहीं होने से अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी द्वारा ससमय सूचित कर दिया गया था।**

इसके अतिरिक्त यह भी जाहिर आया है कि वांछित सूचना किसी लोक कियाकलाप या हित से संबंध नहीं होकर व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण है। भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/02/2013-आई.आर.(पार्ट) दिनांक 14.08.2013

संभागीय आयुक्त

अनुसार व्यक्तिगत सूचना के विषय में माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है कि The performance of an employee/Officer in an organization is primirly a matter between the employee and the employer and normally those aspects are governed by the service rules which all under the expression 'personal information' the disclosure of which has no relationship to any activity or public interest. On the other hand, the disclosure of which could cause unwarranted invasion of the privacy of that individual. **यहा लोक सूचना अधिकारी का यह समाधान हो गया था कि वांछित सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में नहीं है। जिससे सूचना का अधिनियम के तहत आवेदन में वर्णित कई बिन्दुओं पर वांछित सूचना देय नहीं होने से लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को ससमय सूचित कर दिया गया था।**

यह भी जाहिर आया है कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन में कई ऐसी सूचनाएं भी चाही गई थी जो लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में संधारित नहीं थी। राज्य लोक सूचना अधिकारी से सूचना का सृजन करने, अथवा सूचना का व्याख्या करने, अथवा आवेदकों द्वारा उठाई गई समस्याओं को हल करने, अथवा काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर दिये जाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। प्रावधित है कि मात्र ऐसी सूचना की इस अधिनियम के अन्तर्गत आपूर्ति की जा सकती है जो पहले से विद्यमान हो और लोक प्राधिकरण द्वारा धारित की गई हो अथवा नियंत्रणाधीन धारित हो। **विधिक स्थिति और सूचना संधारण के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को ससमय सूचित कर आवेदन में वर्णित बिन्दुओं से चाही गई सूचना के अनुरोध पर विनिश्चय करने में सफलता प्राप्त की है।**

अपील मेमों में अंकित तथ्यों एवं आवेदन में अंकित अनुरोध के अवलोकन से यह जाहिर आया है कि अपीलार्थी द्वारा इस स्तर अपने जवाब में पुनः कयासी आधार पर नवीन काल्पनिक/कयासी तथ्य प्रस्तुत किये है, जिसका उल्लेख लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने प्रत्युतर में भी किया गया है। **लिखित प्रतिकिया और अपील मेमों में प्रस्तुत कथनों, जो कयासी/काल्पनिक आधार पर किये गये है, के संबंध में अपीलार्थी दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है, जिससे प्रस्तुत कथन कतई ग्रहण करने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाते है।**

अपीलार्थी द्वारा अपने जवाब में यह कथन किया है कि उसके द्वारा आवेदन व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया गया है, न की राजकीय कार्मिक की हैसियत है। यहा हम यह उल्लेख किया जाना उचित समझते है कि एक तरफ से अपीलार्थी अपने आवेदन व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करने का कथन करता है और दूसरी तरफ स्वयं अपने राजकीय कार्मिक होने एवं इस कार्यालय में पूर्व में कार्यरत होकर कथित वृतांत का उल्लेख करता

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

है जो अपीलार्थी द्वारा स्वयं विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। यहा हम यह भी विवेचित किया जाना उचित समझते है कि अपीलार्थी स्वयं एक राजकीय कर्मचारी होकर वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर में स्टेनों के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी द्वारा तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी के संबंध में अशोभनीय एवं अनुचित शब्दों का उपयोग किया गया है, जो उचित नही है।

उपरोक्त विवचेन से स्पष्ट होता है कि **लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 22.07.2022 से मांगी गई सूचना को अधिनियम की धारा-7 की उपधारा (1) में निर्धारित 30 दिवस की अवधि में उपलब्ध कराई है अर्थात लोक सूचना अधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आवेदन में वर्णित 08 बिन्दुओं की वांछित सूचना के अनुरोध पर विनिश्चय करने में सफल रहे है। हम यह भी पाते है कि अपीलार्थी के आवेदन का लोक सूचना अधिकारी द्वारा विधिक प्रावधानों के परिपेक्ष्य में विनिश्चय किया है और अपीलार्थी अपने कथनों को सफलता पूर्वक साबित नही कर पाया जिससे प्रस्तुत अपील स्वीकार करने योग्य नहीं है।**

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अस्वीकार एवं खारिज की जाती है। अतः उक्त अपील का निस्तारण करते हुए फैसल शुमार किया जावें एवं नम्बर से कम किया जावें।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर (राज.)

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
01- लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
02- श्री विनोद गहलोत पिता श्री देवकृष्ण टेलर, 78, गणेशघाटी, उदयपुर-313001

संभागीय आयुक्त
उदयपुर